उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-3
संख्या-108/2024/2432/तीस-3-2024-10M/2017
लखनऊ, दिनांक: 09 सितम्बर,2024

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-22 सन 2023) की अधिसूचना संख्या-578/79-वि-1-2023-क-21-2023, दिनांक 08.12.2023 को गजट में प्रकाशित करते हुए उक्त अधिनियम को प्रख्यापित/अधिसूचित किया गया है।

अतः उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2023 की धारा-4 (1) में प्राविधानित व्यवस्था के तहत प्राधिकरण का मुख्यालय अंतरिम तौर पर स्थायी व्यवस्था होने तक जनपद लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय में होगा।

इसी के सापेक्ष प्राधिकरण के उप कार्यालय अंतरिम तौर पर स्थायी व्यवस्था होने तक प्रदेश के समस्त 19 संभागों के संभागीय परिवहन कार्यालय में होंगे।

ह0/-
(एल0 वेंकटेश्वर लू)
प्रमुख सचिव।

संख्या-108/2024/2432(1)/तीस-3-2024 तददिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in